फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ

सम्पतराम आदि बनाम सरकार

किस्म मुकदमा:–88,209 आरटीए। प्रकरण संख्या:–186/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/12/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व पैरोकार राज उपस्थित। बहस सुनी। वकील वादी श्री सुरेन्द्र सुथार ने दावा को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि जमाबंदी सम्वत 2070 ता 73 चक 20 एलजीडब्लयूडी के खाता संख्या 62/50 के प0नं0 30/300(29) के कि0नं0 12 ता 14 की 0.759 है0 कि0नं0 15/2/0.177 है0 व कि0नं0 16 ता 19 की 1.012 है0, 21 ता 25 की 1.265 है0 कुल 3213 है0 नहरी भूमि में से 2/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का नाम सम्पतराम व वादी संख्या 2 का नाम सोहनलाल दर्ज है व वादीगण के पिता का नाम रीडमाल दर्ज है। वादी संख्या 1 सम्पतराम का वारिस प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड में सम्पतलाल दर्ज है व वादी संख्या 2 सोहनलाल का नाम वारिसनामा, भामाशाह कार्ड, मूल निवास, पहचानपत्र, आधारकार्ड व राशनकार्ड में बद्रीप्रसाद अंकित है तथा वादीगण के पिता का पहचानपत्र, मृत्युप्रमाण पत्र व राशनकार्ड में रेड़ाराम दर्ज है। वादी संख्या 1 को बोलचाल की भाषा में कभी सम्पतराम व कभी सम्पतलाल तथा कभी सोहनलाल कभी ब्रदीप्रसाद कहते है तथा वादीगण के पिता को कभी रेड़ाराम व कभी रीडमाल कहकर पुकारते थे इसलिये वाद की मद संख्या 1 में अंकित रकबा में बोलचाल की भाषा के आधार पर सम्पतराम की जगह सम्पतलाल, सोहनलाल की जगह बद्रीपसाद व अपने पिता का नाम रीडमाल की जगह रेड़ाराम दर्ज हो गया है। अतः दावा की मद क ता ड़ अनुसार अनुतोष प्रदान किया जाकर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जावे। पैरोकार राज द्वारा जवाब स्टैट प्रस्तुत नही किये जाने पर दिनांक 21.11.2019 को जवाब स्टैट बंद किया जाकर तनकीयात कायम की गई।. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। दावा में दिनांक 23.12.2019 को कायम तनकीयात का निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है। तनकी नं.1:–उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 अनुसार खाता संख्या 62/50 में सोहनलाल–सम्पतराम–भागीरथ–कृष्णलाल पि0रीड़माल कौम जाट ब0हि0ब0 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्रा0प0 भगवानगढ़ से प्रमाणित प्रमाण–पत्र दिनांक 27.08.18 में सोहनलाल तथा बद्रीप्रसाद एवं सम्पतराम व सम्पतलाल तथा रिडमाल व रेडाराम को एक ही नाम के व्यक्ति होना बताया है। परन्तु वादीगण ने यह साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है कि उन्हे यह रकबा कैसे प्राप्त हुआ है तथा उक्त नाम का अंकन कैसे आया है एवं वादीगण ने ना ही किसी गवाह के साक्ष्य आदि करवाये है एवं ना ही उन्होने अपने खाता के सहखातेदार काश्तकारों के बयान प्रस्तुत किये है। जिससे यह साबित हो कि वादीगण का नाम दुरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने दावा में कॉज ऑफ एक्शन भी साबित नही कर पाये है। इसलिये ऐसे राजस्व रिकार्ड में किसी अंकित खातेदार का नाम को दुरस्त करने की घोषणा की जा सकती है। उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है। तनकी नं.2:–उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। पूर्व में इस तनकी का निर्णय तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है। इसलिये उक्त तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। परचा डिकी जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. सम्पतराम उर्फ सम्पतलाल पुत्र रीडमाल उर्फ रेड़ाराम जाति जाट साकिन चक 12/15 एसजीआर (सरदारपुरा बीका) तहसील सूरतगढ़
2. सोहनलाल उर्फ बद्रीप्रसाद पुत्र रीडमाल उर्फ रेड़ाराम जाति जाट साकिन चक 12/15 एसजीआर (सरदारपुरा बीका) तहसील सूरतगढ़

– वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी

वाद पत्र धारा–88,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 186 वर्ष 2018 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र सुथार व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x..... फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 14/2/2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.25 13:13:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: